>

Title: Need to provide timely and adequate loan to entrepreneurs belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): पिछले कुछ दिनों में मीडिया द्वारा उन दलित वर्ग के लोगों के बारे में काफी चर्चा की गई है, जिन्होंने अपने स्वयं के बल पर उद्योग तथा अन्य व्यवसाय चालू किया है और उनका व्यवसाय आज चरम सीमा पर है । दलित वर्ग के व्यवसायियों द्वारा एक संगठन ""दलित इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्री"" के नाम से जिसके द्वारा दलित वर्ग के छोटे व्यवसायियों की सहायता भी की जा रही है, चालू किया गया है ।

भारत सरकार ने भी पिछले वर्ष अनुसूचित/जनजाति के छोटे उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद की नियमावली में परिवर्तन करते हुए कुल सरकारी खरीद का 4 प्रतिशत हिस्सा इस वर्ग के उद्यमियों से खरीदने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप लघु उद्यमियों से सरकार द्वारा की जा रही खरीददारी जोकि वर्तमान में 35000 करोड़ है, उसमें से 7000 करोड़ की खरीददारी का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्यमियों तक पहुंचेगा ।

अनुसूचित जाति के लघु उद्यमियों के सामने एक प्रमुख समस्या ऋण के अभाव की है । हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित डाक्यूमेंट में यह बताया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को ऋण देने के लिए 20 योजनाएं संचालित है । वर्ष 2010-11 में मंत्रालय द्वारा कुल 2524 करोड़ के ऋण जारी किए गए थे । वर्ष 2011-12 में अप्रैल से अक्तूबर तक कुल 1670 करोड़ रूपये ही जारी किए गए हैं । ऋण की मात्रा मांग के अनुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता के साथ-साथ उद्योग प्रारंभ करने के लिए भी अंश पूंजी की व्यवस्था करने के प्रावधान किए जाने चाहिए ।

एक ओर तो सरकार इस वर्ग के उद्यमियों के कल्याण के लिए योजनाएं बना रही हैं, लेकिन दूसरी ओर व्यवसाय के सफल संचालन हेतु ऋण पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा रही है । यह भी सुनने में आया है कि ऋण आवेदन के पश्चात् काफी लंबे समय तक ऋण आवंटित नहीं किए जाते हैं ।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे उद्यम हेतु इन उद्यमियों/व्यवसायियों को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ऋण समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाए ।